भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय : राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक /2015 निगरानी पी.बी.आर. निगरानी 1506-PBR-15

दिनांक 15-6-15 को श्री वीरसिंह जादौन अभि० द्वारा प्रस्तुत। 15-6-15 SO (34)

श्रीमती कल्पना मुदगल पत्नी स्व.सतीश मुदगल निवासी विनय नगर सेक्टर नम्बर 4 स्टोर एरिया ग्वालियर (म.प्र.)

.............निगरानीकर्ता

बनाम

मध्यप्रदेश शासन जर्ये पटवारी मौजा

............गैरनिगरानीकर्ता

श्रीमान तहसीलदार महोदय ग्वालियर के प्र.कं. 18/12–13/अ–6अ में पारित आदेश दिनांक 22.08.2013 के विरूद्व निगरानी म.प्र.भूराजस्व की धारा 50 के अंतर्गत।

माननीय न्यायालय,

निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है:–

निगरानी के संक्षिप्त में सार :–

यह कि ग्राम घाटमपुर स्थित भूमि सर्वे नं. 30 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा भूमि की निगरानीकर्ता कल्पना पत्नी स्व. सतीश मुदगल निवासी विनय नगर सेक्टर 4 स्टोर एरिया ग्वालियर भूमिस्वामी होकर आधिपत्यधारी है। उक्त भूमि निगरानीकर्ता को उसके दादा ससूर मदन मोहन पुत्र हरगोविन्द मुदगल ने निगरानीकर्ता कल्पना मुदगल के हि तकं एक वसीयतनामा लिखा था। उक्त वसीयतनामा के आधार पर मदन मोहन जी की मृत्यु के पश्चात सक्षम न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय ग्वालियर के समक्ष नामान्तरण बावत् विधिवत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिसे सुनवाई में लेते हुए प्र.कं. 93/01–2002/अ–6 से आदेश दिनांक 0.12.2002 को निगरानीकर्ता के हित में भूमिस्वामी स्वत्व पर विधिवत नामान्तरण स्वीकार किया गया था। और उसी समय से उक्त भूमि पर भूमिस्वामी की हैसियत से काबिज है, किन्तु मौजा पटवारी द्वारा कम्प्यूटर में प्रविष्टि करवाते समय उक्त भूमि को भूमिस्वामी के स्थान पर त्रृटिवश देवस्थान अंकित कर दिया है। जबकि उक्त भूमि के संबंध में सीलिंग प्रकरण भी चला था। देवस्थान भूमि के संबंध में सीलिंग प्रकरण नहीं चलता है। प्रार्थिया की भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि सम्बत 2020 से 2040 तक प्रार्थिया का दादा ससूर भूमिस्वामी था तथा उनकी मृत्यु के पश्चात् प्रार्थिया का दिनांक 09.12.2002 को भूमिस्वामी स्वत्व पर नामान्तरण स्वीकार किया गया था, किन्तु कम्प्यूटर में प्रविष्टि करते समय भूमिस्वामी के स्थान

कमंशः..........2

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1506-पीबीआर/2015 जिला ग्वालियर

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
06-03-19	प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर न्यायालय को भेजा जाता है। उभयपक्ष दिनांक 30-5-2019 को जिला कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । उभयपक्ष सूचित हो। अध्यक्ष	30/5/19